राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–135/2004

नैन सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह जी **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रहलाद सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी ने B.Lib. & C.Lib. की योग्यता धारित कर रखी है। राज्य सरकार ने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला प्रदान कर रखी है। परंतु अपीलार्थी को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है। अपीलार्थी के पास निर्धारित योग्यता है, क्योंकि अपीलार्थी ने एम.ए. एवं B.Lib. की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है। परंतु अपीलार्थी ने एम.ए. योग्यता तृतीय श्रेणी से तथा B.Lib. की योग्यता द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की है। इसलिए अपीलार्थी को यू.जी.सी. के समान वेतन–श्रृंखला के समान नहीं माना गया।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतन–श्रृंखला के समान वेतन प्रदान किया जाये।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी निर्धारित योग्यता धारित नहीं करता है। मेमोरेण्डम दिनांक 24.04.1993 के अनुसार निम्न प्रकार से योग्यता होना आवश्यक है :–

> First or second class B.A./ B.Sc./B.Com. Degree plus a First of second class M.Lib. Sc. Degree.
>
> or
>
> First or second class M.A./M.Sc./M.Com. Degree and a first or sceond class B.Lib. Sc. or a Diploma in Library Science.

4. अपीलार्थी ने बी.ए. तृतीय श्रेणी व एम.ए. तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण की है। इस कारण से अपीलार्थी निम्नानुसार यू.जी.सी. की वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

5. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण लक्ष्मीनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य RLR 2002(1) पेज न. 774 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :—

> "9. When this Court has accepted that the Librarians working in the various Colleges of the Government of Rajasthan and the Universities are entitled for the benefit of the upgraded UGC pay scales without there being any condition having been imposed of Ist Class or II Class Degree or PG Degree as well as Ist or IInd Class Degree or Diploma in Library Science how it is permissible to the respondents to put these terms and conditions vide document (Annexure-R/1). When this Court has already accepted this claim of the Librarians for this upgraded UGC Pay-Scales and it has to be given to all the Librarians irrespective of the fact whether they came before this Court or not. The earlier writ petition had been filed by the Association and the judgment given therein was for all the Librarians. The sand taken by the respondents first; to get a separate order from this Court for this pay scale and secondly only those existing Librarians who are I Class or II Class Degree Holders in academic or in Library Science are eligible for this benefit are wholly perverse and arbitrary.
>
> 10. The State of Rajasthan is a welfare State and it is not an ordinary employer or a businessman or industrialist or a shopkeeper, has to exhibit itself as a model employer. It is not a case of the respondents that the benefits of the judgment of this Court was given only to the Librarians who are possessing Ist or IInd Class Degree or PG Degree in Library Science or in Academic. This Court puts this question to the learned counsel for the respondents and he is unable to give any reply to the same. In the absence of any reply to this question otherwise also it is very difficult to accept that these benefits were given only to those existing Librarians who are having Ist or IInd class Degree in PG Academic only in Library Science. The respondents, it is to be stated at the costs of the repetition, have failed to produce any material on record that this upgraded UGC pay scale has been restricted by the UGC to those existing Librarians who are holding the Ist or IInd Class Degree or PG Degree in Academic and Ist or IInd Class Degree in Library Science. Unless it is established as a fact to the satisfaction of the Court that subject to the possessing of Degree of Ist or IInd Class in Academic and also in Library Science, this upgraded UGC pay-scales can't be given to the petitioners, the State Government is not correct in its approach to restrict the availability of this benefit of upgraded UGC pay scales on the terms and conditions as given out in Annexure-R1."

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से माननीय उच्च न्यायालय ने केवल प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की योग्यता के आधार पर यू.जी.सी. के अनुसार वेतन श्रृंखला दिया जाना उचित नहीं माना है।

7. इस प्रकारण में अपीलार्थी के पास प्रथम/द्वितीय श्रेणी की योग्यता नहीं होने के कारण और केवल तृतीय श्रेणी की योग्यता होने के आधार पर लाभ नहीं दिया था, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उचित नहीं है।

8. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को यू.जी.सी. के अनुसार वेतन श्रृंखला प्रदान की जाये और अपीलार्थी का वेतन यू.जी.सी. की वेतन श्रृंखला में निर्धारित करते हुए अपीलार्थी का वेतन संशोधित कर अपीलार्थी को एरियर राशि का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ प्रदान किया जाये।

9. इस आदेश की पालना 3 माह में की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)